न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म०प्र0

प्रकरण क्रमांक 8 / 15 एस०टी० (विशेष) संरिथति दिनांक 23.12.2015

मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म0प्र0

-अभियोजन

बनाम

ALLEN AND A PAROLE SUNTY AND A PAROLE AND A कमलिसंह जाटव पुत्र बदन सिंह जाटव, उम्र 21 साल निवासी ग्राम दंदरीआ कॉलोनी थाना मौ जिला भिण्ड म0प्र0

अभियुक्त

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर। अभियुक्त द्वारा श्री के०सी० उपाध्याय अधिवक्ता

/ / नि र्ण य / / / / आज दिनांक 20—05—2016 को घोषित किया गया / /

अभियुक्त का विचारण धारा 354क, 452, 506बी भा0द0सं0 एवं बालकों के 01. लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के अपराध के आरोप के संबंध में किया जा रहा है। उस पर यह आरोप है कि दिनांक 7-11-2015 को शाम 5 बजे करीब फरियादिया का घर ग्राम दंदरौआ कॉलोनी जिला भिण्ड पर पीडिता जो कि 18 वर्ष से कम उम्र की होकर एक नावालिग वालिका है उसको बुरी नियत से हाथ पकडकर, सीना दबाकर आपराधिक बल प्रयोग किया। उस पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया जो कि 18 वर्ष से कम उम्र की होकर एक नावालिग वालिका है को सदोष अवरोध / हमला के भय में डालने की तैयारी करके गृह अतिचार किया। उस पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया को संत्रास कारित करने के

आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। उस पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक व उसके करीब फरियादिया जो कि 18 वर्ष से कम उम्र की होकर नावालिग वालिका है के साथ लैंगिक हमला कारित किया।

- 02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडिता/फरियादिया जो कि 17 वर्ष की उम्र की होकर नावालिंग है घटना दिनांक 7-11-15 को शाम करीब 5 बजे वह अपने घर की बैठक में झाडू लगा रही थी कि उसके गांव का कमलिसंह जाटव घर के अन्दर घुस आया और पीछे से हाथ पकड़कर बुरी नियत से सीना दबा दिया। वह चिल्लाई तो उसका छोटा भाई सुनील आ गया सोई कमलिसंह बोला कि यदि तुमने अपने घरवालों को बताया तो जान से खतम कर देंगे और भाग गया। पीडिता ने अपने घरवाले माता, पिता व भाई के आने पर उनको घटना के बारे में बताया। पीडिता उसी दिन अपने भाई विनोद के साथ रिपोर्ट को थाना आई है और उसके द्वारा थाना मौ में रिपोर्ट दर्ज कराई गयी जो कि अप०कं0 263/15 धारा 354,452,506 भा0द0सं० एवं बालकों के लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना की गई। विवेचना के दौरान पीडिता एवं साक्षीगणों के कथन अंकित किये गये। आरोपी को गिरफतार किया गया। जप्ती की कार्यवाही की गयी। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 03. आरोपी के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 354क,452,506बी भा0द0सं0 एवं बालकों के लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 का आरोप पाए जाने से आरोप लगाकर पढ़कर सुनाया समझाया गया आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया, उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।
- 04. धारा 313 दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किए गए। अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाया होना अभिकथित किया है। बचाव में प्रवेश कराए जाने पर बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।
- 05. आरोपीगण के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय है कि—
 - 1. क्या घटना दिनांक 7—11—2015 को पीडिता 18 वर्ष से कम उम्र की होकर नावालिंग थी ?
 - 2. क्या आरोपी के द्वारा पीडिता का बुरी नियत से हाथ पकडकर और सीना दबाकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग कर हमला किया गया ?

- 3. क्या आरोपी के द्वारा फरियादिया / पीडिता को सदोष अवरोध / हमला के भय में डालने की तैयारी के उपरांत उसके घर में प्रवेश कर गृह अतिचार किया ?
- 4. क्या आरोपी के द्वारा उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया को संत्रास कारित करने के आशय से उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
- 5. क्या आरोपी के द्वारा उपरोक्त दिनांक व उसके करीब फरियादिया जो कि 18 वर्ष से कम उम्र की होकर नावालिग वालिका है पर लैंगिक हमला कारित किया?

-::निष्कर्ष के आधार::-

बिंदु क्रमांक 01:-

- 06. सर्वप्रथम घटना के समय पीडिता की उम्र का जहां तक प्रश्न है, इस संबंध में पीडिता के द्वारा घटना के समय उसकी उम्र 17 साल होना और कक्षा आठवी तक पढ़ा होना बताया है। इस संबंध में पीडिता के पिता शीतलिसंह अ0सा02 के द्वारा पीडिता की उम्र घटना के समय 17—18 साल की होना बतायी है। इस बिन्दु पर फिरयादिया की बताई गयी उम्र जो कि उसने 17 साल बतायी है, वर्तमान घटना दिनांक 27—11—2015 की है। प्रतिपरीक्षण में पीडिता साक्ष्य दिनांक को उसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकना बता रही है, किन्तु घटना के समय उसकी उम्र 18 वर्ष की पूर्ण हो चुकी थी ऐसा कहीं उसके द्वारा नहीं बताया गया है। पीडिता के पिता शीतलिसंह के द्वारा पीडिता की उम्र घटना के समय 17—18 साल होनी बतायी है। इस बिन्दु पर उसके पिता शीतलिसंह अ0सा0 2 का कोई प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के द्वारा नहीं किया गया है।
- 07. पीडिता की घटना के समय उम्र के संबंध में अभियोजन के द्वारा शासकीय माध्यिमक विद्यालय चिरोल के अध्यापक जयवीर तिर्की अ0सा05 का कथन कराया गया है जो कि भर्ती रिजस्टर अपने साथ लेकर आये थे और उन्होंने भर्ती रिजस्टर के आधार पर पीडिता की जन्म तिथि विद्यालय के रिकार्ड में दिनांक 20—10—2002 दर्ज होना बताया है। पीडिता उनके विद्यालय में कक्षा 8 तक अध्ययन करना और उसके पश्चात् विद्यालय त्यागना, विद्यालय त्यागने के संबंध में प्र0पी0 8 होना जिसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त साक्षी यद्यपि प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि पीडिता की वास्तविक उम्र कितनी है यह वह नहीं बता सकता है, किन्तु निश्चित तौर से उक्त साक्षी जो कि विद्यालय के भर्ती रिजस्टर के आधार पर पीडिता की जन्म तिथि के संबंध में बता रहा है और भर्ती रिजस्टर प्र0पी0 7 में

(जिसकी प्रतिलिपि प्र0पी07 सी है) उसमें पीडिता की जन्म तिथि दिनांक 20—10—2002 अंकित है। यद्यपि उक्त साक्षी बच्ची के एडमीशन के समय कोई जन्म का कोई प्रमाणपत्र पेश किया गया होना न बता रहा है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि जन्म का कोई प्रमाणपत्र विद्यालय में एडिमिशन के समय पेश नहीं किया गया है इस संबंध में विपरीत अवधारणा करने का कोई आधार नहीं हो सकता है।

08. आयु के अवधारण के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाली अपेक्षित साक्ष्य का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में आयु के विषय में उपधारणा और उसके अवधारण बावत् धारा 94 किशोर न्याय (बालकों के देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015) की धारा 94(2) में दिशा दिनेश दिए गए है, जिसमें कि उम्र के अवधारण के संबंध में— (1) विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मेट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र यदि उपलब्ध हो। (2) और उसके अभाव में निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र। (3) उपरोक्त फर्ट और सेकण्ड के अभाव में आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर किए गए अस्थि जॉच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जॉच के आधार पर किया जाएगा।

09. ऐसी दशा में जबिक आवेदिका के विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख का प्रमाणपत्र मौजूद है इस संबंध में पीडिता के कथन तथा उसके पिता के कथनों के परिप्रेक्ष्य में घटना के समय पीडिता की उम्र 18 वर्ष से कम की होकर उसका नावालिग होना प्रमाणित होता है।

बिन्दु कमांक 2 लगायत 5:-

- 10. घटना के संबंध में पीडिता अ०सा० 1 ने आरोपी को पहचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि घटना के समय वह अपने घर पर थी। शाम को चार पांच बजे वह हेण्डपम्प पर पानी भरने को गई तो आरोपी कमलिसंह ने हेण्डपम्प पर उसके वर्तन फेंक दिए, इतने में उसका भाई विनोद आया तो कमलिसंह ने उसके भाई विनोद को थप्पड मार दी, उसके बाद वह और उसके भाई दोनों रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने चले गए। नक्शामौका प्र.पी. 2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पीडिता के द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन न करने के कारण अभियोजन के द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए है, किन्तु इस दौरान भी उसके कथनों में अभियोजन घटनाक्रम जिस प्रकार से बताया गया है, इस संबंध में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं हुआ है।
- 11. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी शीतलसिंह अ०सा० 2 जो कि पीडिता

का पिता है और साक्षिया भवन्ता बाई अ०सा० 3 जो कि पीडिता की माँ है के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। उक्त दोनों साक्षीगण को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए है, किन्तु इस दौरान भी उनके कथनों में अभियोजन प्रकरण का समर्थन या पुष्टि करने के संबंध में कोई भी तथ्य नहीं आया है।

- 12. अभियोजन साक्षी विनोद अ०सा० 4 जो कि पीडिता का भाई है के द्वारा भी केवल यह बताया गया है कि, उसकी बहन का आरोपी के साथ मुँहवाद हो गया था, इसके अतिरिक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई भी समर्थन नहीं किया गया है। इसी प्रकार साक्षी सुनील अ०सा० 6 जो कि पीडिता का अन्य भाई है, के कथनों में भी अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए है, किन्तु इस दौरान भी उनके कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन या पुष्ट करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है।
- 13. घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पीडिता के द्वारा दर्ज कराना प्रधान आरक्षक सुल्तानिसंह अ०सा० 7 जो कि घटना के समय थाना मौ पर प्र०आर० लेखक के पद पर पदस्थ था के द्वारा अपराध कमांक 263/2015 धारा 354, 452, 506बी भा0द0सं० एवं धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया था जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 है जिस पर सी से सी भाग पर हस्ताक्षर होना बताया है। प्रकरण के विवेचना अधिकारी शेरसिंह अ०सा० 8 निरीक्षक/थाना प्रभारी थाना मौ के द्वारा घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 2 तैयार करना और साक्षी भवन्ता, शीतल, सुनील, विनोद एवं पीडिता के कथन लेखबद्ध करना बताया है और आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 9 तैयार करना बताया है।
- 14. घटना के संबंध में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्षियों के साक्ष्य कथन जिसमें कि पीडिता अ0सा0 1 का साक्ष्य कथन महत्वपूर्ण है, पीडिता के साक्ष्य कथन में कहीं भी उसके द्वारा अभियोजन घटनाकम जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 में वर्णित किया गया है उसका कोई समर्थन नहीं हुआ है। यद्यपि पीडिता आरोपी के साथ हेण्डपम्प पर विवाद होने के संबंध में अपने साक्ष्य कथन में बताई है। पीडिता को पक्षद्रोही घोषित करने के पश्चात् सूचक प्रश्नों के दौरान भी उसके कथनों में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन या पुष्टि नहीं हुई है। इस प्रकार घटना की पीडिता के कथनों के आधार पर कहीं भी अभियोजन द्वारा बताई गई घटना पीडिता के साथ घटित होने की पुष्टि नहीं होती है। पीडिता अपने कथन में उसके भाई विनोद को आरोपी के द्वारा थप्पड मारने के बारे में बता रही है, किन्तु उक्त घटना वह

हेण्डमपप पर पानी भरने के दौरान विवाद होने के कारण बता रही है जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहीं भी नहीं आया है।

- 15. इस संबंध में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी सुनील अ0सा0 6 जो कि फरियादिया के चिल्लाने पर घटना स्थल पर आ जाना बताया है। उक्त साक्षी के द्वारा भी अभियोजन घटनाकम का कोई समर्थन नहीं किया गया है, उसे भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए है, किन्तु इस दौान भी उसके कथनों में अभियोजन प्रकरण का समर्थन या पुष्ट करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है जिससे कि घटनाकम का किसी प्रकार से कोई समर्थन होता है। अभियोजन साक्षी शीतलिसंह अ0सा0 2 जो कि पीडिता का पिता है तथा साक्षिया भवन्ता बाई अ0सा0 3 जो कि पीडिता की माँ है तथा साक्षी विनोद अ0सा0 4 जो कि पीडिता का भाई है के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में पीडिता के द्वारा उन्हें उसके साथ कोई घटना घटित होने के बारे में बताना या अभियोजन घटनाकम का कोई भी समर्थन या पुष्टि नहीं होती है। उक्त साक्षीगण को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए है, किन्तु इस दौरान भी उनके कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन या पुष्ट करने वाला कोई भी तथ्य साक्ष्य कथन में नहीं आया है।
- 16. जहाँ तक प्रकरण के प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक व विवेचना अधिकारी के कथनों का प्रश्न है, मात्र उनके कथनों के आधार पर पीडिता के साथ घटना घटित होने का तथ्य प्रमाणित प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि पीडिता का धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष कथन कराए गए है, धारा 164 दं.प्र.सं. के कथनों में भी पीडिता के द्वारा उसके साथ हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित किसी भी घटना के संबंध में कोई तथ्य नहीं बताया गया है। उसका भाई हेण्डपम्प पर पानी भरने को लेकर विवाद होना और उसके भाई विनोद को आरोपी के द्वारा थप्पड मारने और इस कारण उसके द्वारा रिपोर्ट करने जाना बताया है। इस प्रकार धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन के परिप्रेक्ष्य में भी अभियोजन प्रकरण की कोई सम्पुष्टि होनी नहीं पाई जाती है।
- 17. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा अपने तर्क के दौरान यह व्यक्त किया कि वर्तमान प्रकरण में धारा 354क, 452, 506बी भा0द0सं0 एवं बालकों से लेगिंक अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत भी अभियोग है। उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत अपराध कारित करने के संबंध में उपधारणा की किए जाने का प्रावधान है तथा अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत आरोपी के अपराध करने हेतु मानसिक स्थिति की उपधारणा की जाएगी। इस परिप्रेक्ष्य में जबिक आरोपी की मौजूदगी पीडिता के द्वारा होनी

बताई जा रही है, आरोपी के द्वारा अपराध घटित होने का तथ्य प्रमाणित माना जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आरोपी के घटना में मौजूद होना और उसके द्वारा पीडिता के साथ लैंगिक हमला कारित करने के संबंध में स्पष्ट रूप से आया है। इस परिप्रेक्ष्य में लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आरोपी के द्वारा अपराध कारित करने के संबंध में उपधारणा की जाएगी। इस परिप्रेक्ष्य में आरोपी के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी पाई जाती है।

- 18. अभियोजन के द्वारा लिए गए उपरोक्त आधारों पर विचार किया गया। पीडिता के द्वारा अपने न्यायालय में हुए कथन में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया है। वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपी के घटना में संलग्न होने अथवा उनके द्वारा कोई घटना कारित किए जाना भी उसके द्वारा नहीं बताया जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट भी सारवान साक्ष्य नहीं होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज होने के आधार पर उसके विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती।
- 19. जहाँ तक लैगिंक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 29 के संबंध में उपधारणा का प्रश्न है तथा इस संबंध में अधिनियम की धारा 30 आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में उपधारणा किए जाने हेतु प्रारंभिक तौर से तथ्य अभियोजन को दर्शित करना होगा। घटनास्थल पर आरोपी कमलिसंह की प्रथम सूचना रिपोर्ट में बताए गए स्थान पर उसकी मौजूदगी अथवा उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई आपराधिक वल प्रयोग उस पर किये जाने का तथ्य नहीं बताया गया है, बल्कि यह स्वीकार किया है कि आरोपी उसके घर के अंदर नहीं आया और उसके घर के अंदर आकर उसके उपर आपराधिक वल प्रयोग करने का कोई कृत्य नहीं किया। ऐसी दशा में जबिक लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम की धारा 29 में प्रावधानिक उपधाराणा प्रतिखण्डात्मक प्रकार की है, आरोपी के द्वारा अपराध घटित करने के संबंध में कोई उपधारणा इस आधार पर नहीं की जा सकती है।
- 20. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य के आधार पर आरोपी कमलिसंह की घटना के समय घटनास्थल पर मौजूदगी अथवा उसके द्वारा पीडिता के साथ आरोपी के द्वारा घर के अंदर प्रवेश कर उस पर बुरी नियत से आपराधिक बल प्रयोग करने और उसे जान से मारने की धमकी देना तथा लैंगिक अपराध कारित करने की कोई घटना कारित की गई अथवा किसी प्रकार से प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया गया यह अभियोजन साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।
- 21. अतः अभियोजन प्रकरण को प्रमाणित होना न पाते हुए आरोपी कमलसिंह को

धारा 354क, 452, 506बी भा0द0सं0 एवं बालकों से लैगिंक अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया। मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

ATTHER AT LATER OF THE PARTY AND A STREET OF

(डी0सी0थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

(डी०सी0थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड